भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3270
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए
जनजातीय क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ

3270. श्रीमती हिमाद्री सिंह:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री भोजराज नाग:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से निपटने और बाल विकास परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए कोई चल रही/प्रस्तावित पहल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए आईसीडीएस योजनाओं के अंतर्गत आवंटित/खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) जनजातीय क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने में आईसीडीएस के माध्यम से अब तक प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) नामक व्यापक (अम्ब्रेला) मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयन की

व्यापक योजना है, जिसमें किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने संबंधी कोई बाधा नहीं है। इस मिशन को जनजातीय राज्यों सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) को दूर करने और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी प्रावधान है। गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और दूर करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को

कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत, सामुदायिक एकजुटता और जागरूकता प्रचार अभियान चलाकर लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जा रहा है, क्योंकि पोषण संबंधी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयास करना पड़ता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के तहत नियमित रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित करते हैं और उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) पोषण संबंधी पद्धतियों में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम कर रहे हैं और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रति माह समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अब तक, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं जिनमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।

सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का नीतिगत निर्णय भी लिया है जिनमें प्रत्येक में एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका होगी, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियों सहित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करेगी हैं। दिनांक 08.07.2025 की स्थिति के अनुसार 1,11,363 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करने करने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर केंद्रित है। अभी तक देश भर में प्रधानमंत्री जनमन के तहत कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक के अनुसूचित जनजाति वाले गाँवों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस प्रयास में वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करना शामिल है।

पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल के अंतर्गत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मियों को प्रशिक्षण के एक व्यापक मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसमें मास्टर प्रशिक्षकों (अर्थात् जिला अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक और पर्यवेक्षक) को प्रशिक्षित किया जाता है और मास्टर प्रशिक्षक आगे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करते हैं। देश भर में 28 जुलाई 2025 तक 5,71,667 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से किए जा रहे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चरणों से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण के संकेतकों में सुधार देखने को मिला है। एनएफएचएस -1 से एनएफएचएस -5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**बौनापन %**	**अल्प- वजन %**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस -1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस -2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस -3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस -4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस -5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3
पोषण ट्रैकर (जून 2025) ***	37	15.9	5.4

* 4 वर्ष से कम
** 3 वर्ष से कम
*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका प्रासंगिक समय पर 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष के आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि, जून, 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.36 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत थे। इनमें से 7 करोड़ बच्चों का लम्बाई और वजन विकास मापदंडों पर मापन किया गया था। इनमें से 37.07% बच्चे बौने पाए गए, 15.93 % बच्चे अल्प वजन वाले और 5.46% बच्चे दुबले पाए गए।

ऊपर उल्लिखित एनएफएचएस के आंकड़ों और पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के विश्लेषण से संपूर्ण भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

बौनापन, दुबलापन और अल्प वजन संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े https://www.poshantracker.in/statistics. लिंक पर देखे जा सकते हैं।

सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

"जनजातीय क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवाएं" के संबंध में दिनांक 08.08.2025 के लोक सभा प्रश्न संख्या 3270 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी निधि का विवरण इस प्रकार है:

							करोड़ रुपए
	राज्य का नाम	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
		जारी की गई निधि	**जारी की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**जारी की गई निधि**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14.98	16.37	19.71	3.85	12.15	9.63
2	आंध्र प्रदेश	825.24	701.82	744.60	827.79	705.68	645.73
3	अरुणाचल प्रदेश	134.71	82.92	170.83	137.78	162.06	102.61
4	असम	1365.53	1109.75	1319.90	1651.63	2233.31	2482.34
5	बिहार	1539.37	1288.98	1574.43	1740.09	1859.29	2262.92
6	चंडीगढ़	17.03	13.35	15.32	33.10	19.79	14.56
7	छत्तीसगढ़	483.88	513.95	606.73	668.96	579.46	733.3
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	17.20	9.02	9.33	5.80	11.97	9.13
9	दिल्ली	133.06	102.70	133.11	182.77	161.81	160.41
10	गोवा	16.02	20.44	10.84	14.71	13.95	13.44
11	गुजरात	854.00	633.13	839.86	912.64	1126.80	601.32
12	हरियाणा	181.00	185.29	173.03	195.25	225.78	232.69
13	हिमाचल प्रदेश	251.82	258.55	247.99	270.24	301.09	313.07
14	जम्मू एवं कश्मीर	332.85	294.17	405.74	479.01	530.88	662.79
15	झारखंड	436.10	464.33	352.98	430.91	664.30	496.95
16	कर्नाटक	861.87	697.17	1003.70	765.87	912.96	886.85
17	केरल	321.42	352.03	388.23	444.98	306.64	435.74
18	लद्दाख	0.00	24.18	14.70	18.79	19.62	18.89

							करोड़ रुपए
	राज्य का नाम	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
		जारी की गई निधि	**जारी की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**जारी की गई निधि**
19	लक्षद्वीप	2.59	3.06	2.11	0.44	2.88	1.35
20	मध्य प्रदेश	1225.60	1238.06	1085.47	1011.57	1123.11	1144.54
21	महाराष्ट्र	1669.40	1205.99	1713.39	1646.17	1699.52	1368.84
22	मणिपुर	162.54	175.77	228.92	135.95	201.28	342.87
23	मेघालय	225.66	177.92	173.33	192.39	269.69	137.93
24	मिजोरम	63.26	74.60	59.32	42.81	100.27	55.29
25	नागालैंड	178.92	167.23	159.80	199.30	262.91	147.01
26	ओडिशा	860.66	858.68	1065.98	923.92	968.80	948.16
27	पुद्दुचेरी	9.86	4.38	2.78	0.12	4.48	3.68
28	पंजाब	201.44	174.71	383.52	75.31	307.87	265.48
29	राजस्थान	673.95	641.77	682.65	974.02	1091.96	741.85
30	सिक्किम	29.47	24.50	25.73	20.33	33.49	18.07
31	तमिलनाडु	764.73	619.43	655.38	766.81	880.79	638.47
32	तेलंगाना	529.96	405.32	482.33	550.69	507.87	430.76
33	त्रिपुरा	166.47	154.16	186.72	150.52	244.22	153.41
34	उत्तर प्रदेश	2544.00	2017.49	2407.55	2721.87	2668.69	2694.62
35	उत्तराखंड	373.96	327.92	353.65	425.84	288.24	216.33
36	पश्चिम बंगाल	1165.26	1066.64	668.35	1227.59	1237.56	1513.8
कुल		18633.81	16105.78	18368.01	19849.82	21741.17	20904.83

*****